

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06.02.2024

रि.या.(सि.) 1210/2024 और सि.वि.आ. 5043/2024 (निर्देश)

श्रीमती विभा शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और अन्य

.....प्रत्यर्थी

इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता:

याचिकाकर्ता के लिए

:श्री नागेंद्र वशिष्ठ, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी के लिए

:श्री आर.के. धवन, स्थायी अधिवक्ता के साथ सुश्री दीक्षा एल. काकर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री निशा धवन, श्री वी.के. टेंग और सुश्री शिवानी तनेजा, एन.डी.एम.सी./प्रत्य-1 के अधिवक्तागण
सुश्री अवनीश अहलावत के लिए सुश्री लावण्या कौशिक, प्रत्य-2 की अधिवक्ता

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला

निर्णय

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला, न्या. (मौखिक)

[कार्यवाही हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।]

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, मामले को अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है।
2. यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका है जिसमें निम्नलिखित राहतों की मांग की गई हैं:

(क) दिनांक 11.02.2005 को रि.या.(सि.) सं. 4247/1998 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन को लागू करने का निर्देश देने के लिए और उपरोक्त ले.पे.अ. सं. 2005/2005 में माननीय खंडपीठ द्वारा पारित 06.10.2005 के आदेश को लागू करने के लिए प्रत्यर्थियों को अनिवार्य प्रकृति में रिट/आदेश या निर्देश जारी करना।

(ख) रिक्ति सूचना/विज्ञापन संख्या 8/2023 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में आयु में छूट के साथ-साथ उचित वरीयता देने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट/आदेश या परमादेश के रूप में निर्देश जारी करना।

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने 1994 से 2005 तक प्रत्यर्थी सं. 1 के विभिन्न स्कूलों में प्राथमिक/नर्सरी/बालवाड़ी शिक्षक के रूप में 10 साल से अधिक समय तक काम किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने 1998 में रिट याचिका

रि.या.(सि.) 4247/1998 दायर करके अपने संविदात्मक रोजगार को नियमित करने का अनुरोध किया था।

4. दिनांक 11.05.2005 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन को स्वीकार करने पर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 2 में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने बाद में ले.पे.अ. सं. 2002/2005 *विभा शर्मा बनाम एन.डी.एम.सी.* शीर्षक वाले मामले में इस न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ के समक्ष दिनांक 11.02.2005 के उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी।

5. विद्वत खण्ड पीठ ने दिनांक 06.10.2005 के अपने आदेश से अपील को खारिज कर दिया था, हालांकि यह अवलोकन किया गया था कि यदि नर्सरी शिक्षक की नियुक्ति के लिए डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा कोई नया चयन किया जाना है और अपीलकर्ता अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे न केवल विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आयु में छूट दी जाएगी, बल्कि प्रत्यर्थी इस तथ्य को भी उचित वरीयता देगा कि अपीलकर्ता ने 10 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर बालवाड़ी शिक्षक के रूप में सेवा की है।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पूरी अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्राथमिक शिक्षक (नर्सरी) के चयन के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि विज्ञापन सं.08/2023 के माध्यम से 22.12.2023 पर पहली बार, प्रत्यर्थी

संख्या 2 ने प्रत्यर्थी सं.1/एनडीएमसी के अनुरोध पर उपयोगकर्ता विभाग के रूप में संयुक्त परीक्षा 2023 के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें सहायक शिक्षक (नर्सरी) के पद का भी विज्ञापन था।

7. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की उम्र अब अधिक हो गई है, ऑनलाइन पोर्टल ने स्पष्ट रूप से उसके ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया, जिसका 07.02.2024 पर रात 11:59 तक बंद होना बताया गया था।

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सहायक शिक्षक (नर्सरी) के नियमित पद पर भर्ती के लिए परीक्षा में बैठने के उद्देश्यों के लिए विचार किए जाने के लिए याचिकाकर्ता को वंचित करना उसके मूल अधिकार का और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा और खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेशों से उसे प्राप्त अधिकारों का भी उल्लंघन होगा।

9. वह प्रस्तुत करता है कि हालांकि प्रत्यर्थी द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों को केवल अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक की आयु में छूट दी गई है, लेकिन उसके मामले में यह पर्याप्त नहीं होगा।

10. वह प्रस्तुत करता है कि यह याचिकाकर्ता की गलती नहीं है यदि प्रत्यर्थी लगभग 20 साल बीतने के बाद विज्ञापन देता है और प्रार्थना करता है कि याचिकाकर्ता को भी एक बार की आयु छूट के रूप में उक्त परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। विद्वान अधिवक्ता

प्रस्तुत करते हैं कि 2005 से अधिसूचना की तिथि तक की अवधि को आयु में छूट के रूप में लिया जाए और याचिकाकर्ता को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री धवन ने प्रस्तुत किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1994 से 2005 तक एक संविदात्मक कर्मचारी यानी बलवाड़ी शिक्षक के रूप में काम कर रही थी, हालांकि, 2005 से 2016 तक याचिकाकर्ता द्वारा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह किस रोजगार में लगी हुई थी। हालांकि, श्री धवन प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को केवल कभी-कभी अगस्त, 2016 के महीने में अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्त किया गया था और अभी भी ऐसा ही है।

12. श्री धवन की दूसरी आपत्ति यह है कि आयु में छूट सरकार का एक नीतिगत निर्णय है और न्यायालयों को इस तरह के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से परेशानी होगी क्योंकि उपयोगकर्ता विभाग और सरकार किसी विशेष पद की आवश्यकता को जानते हैं और इस तरह किसी विशेष अधिसूचना में दी जा रही आयु में छूट तय करने के लिए किस सामग्री पर विचार किया गया था, यह पूरी तरह से सरकार के दायरे में है। उपयोगकर्ता निकाय के रूप में सरकार को निर्देशित नहीं किया जा सकता है और न ही इस संबंध में कोई परमादेश जारी किया जा सकता है।

13. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि ऐसे मामलों में, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल प्रत्यर्थी संख्या 1

के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, विबंध आश्वासन के पक्ष में लागू नहीं होता है क्योंकि यह सर्वज्ञात है कि अधिनियम के विरुद्ध कोई विबंध नहीं है।

14. उपरोक्त आपत्ति के लिए विद्वान अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य खानज विकास निगम संघर्ष समिति और अन्य** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय; (2008) 12 एस.सी.सी. 675 - विशेष रूप से पैरा 43, 44 और 45, को यह प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाया है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया था कि जिन मामलों में अधिवक्ता या यहां तक कि पक्ष भी न्यायालय को कोई वचन या आश्वासन देता है, तो नियमों के विपरीत पाए जाने पर या भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार न पाए जाने पर भी यह विभाग को बाध्य नहीं करेंगे।

15. इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी लाते हैं कि याचिकाकर्ता की आयु आज की तिथि में 52 वर्ष से अधिक है और कम से कम 167 और संविदात्मक कर्मचारी हैं जो आयु में एक वर्ष या उससे अधिक की छूट चाहते हैं और यदि यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई परमादेश पारित करता है तो यह एक अनंत प्रक्रिया में अंतरित हो जाएगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 167 अनुबंधित कर्मचारियों में से 17 कर्मचारी वे हैं जो वर्तमान में याचिकाकर्ता के समान परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षक (नर्सरी) के पद पर हैं।

16. वह अंत में *पांडु रंगा और अन्य में इस न्यायालय का बनाम भारत संघ और अन्य रि.या.(सि.)* मामले में विद्वान खण्ड पीठ के दिनांक 16.10.2020 के निर्णय को आधार बनाते हैं, विशेष रूप से पैरा 17 को जो कि श्री धवन के अनुसार हालांकि इतरोक्ति है, फिर भी महत्वपूर्ण है। उक्त पैरा का निष्कर्ष नीचे निकाला गया है:

“17. कोई याचिकाकर्ता अपने अधिकार का दावा करते हुए एक रिट याचिका दायर कर सकता है और नकारात्मक दावा नहीं कर सकता है। अन्यथा, भेदभाव का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब याचिकाकर्ता को अधिकार होता है और जब याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं होता है, तो वह भेदभाव होने का दावा नहीं कर सकता है। भेदभाव का दावा तभी किया जा सकता है जब कोई अधिकार हो और दूसरे के पक्ष में लाभ सौंपकर उस अधिकार का उल्लंघन किया जाए।”

17. उपरोक्त के अनुसार, श्री धवन, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार ऐसा कोई परमादेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

18. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों और निर्णयों का भी अध्ययन किया है।

19. निस्संदेह याचिकाकर्ता वर्ष 1994 द्वारा 2005 तक प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ संविदात्मक/बालवाड़ी शिक्षक के रूप में कार्यरत था। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता अगस्त, 2016 से एक संविदात्मक नर्सरी शिक्षक के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवाओं

में फिर से शामिल हो गई है और वह आज भी बनी हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता की दलीलें कि उसके पक्ष में दो निर्णय हैं, इस न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 11.02.2005 के आदेश में पैरा 2 में निम्नानुसार उल्लेख किया है:

“2. ऐसा प्रतीत होता है कि एन.डी.एम.सी. ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी.एस.एस.एस.बी.) की सरपरस्ती में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्हें उसने अपनी आवश्यकताएं भेजी हैं।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि नियुक्तियों को प्रभावित करने की शक्ति डी.एस.एस.एस.बी. के पास निहित है लेकिन यह किसी भी योग्यता से रहित है। चयन और नियुक्ति के बीच अंतर है; एन.डी.एम.सी. की चयन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है और डी.एस.एस.एस.बी. की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। ये याचिकाएं डीएसएसएसबी द्वारा नियमित भर्ती और इसके परिणामस्वरूप इस चिंता के मद्देनजर दायर की गई हैं कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। एन. डी. एम. सी. के विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनकी संबंधित अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा है। दूसरा, उनका कहना है कि एन.डी.एम.सी. का भी याचिकाकर्ताओं को अन्य शिक्षकों से प्रतिस्थापित करने का कोई इरादा नहीं है, जिन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। तीसरा, वे न्यायालय को आश्वस्त करते हैं कि डी.

एस. एस. एस. बी. द्वारा नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा की गई भर्ती के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के अधिशेष होने की स्थिति में 'अंत में आओ पहले जाओ' की नीति का निश्चित रूप से पालन किया जाएगा। चौथा, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी याचिकाकर्ता को उनकी अधिकतम आयु सीमा को पार करने के आधार पर नियमित चयन के लिए अयोग्य घोषित करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगा; यदि वे नियमित चयन परीक्षाओं में उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं, तो आयु में छूट दी जाएगी। इन प्रस्तुतियों ने मामले के तथ्यों पर अनुच्छेद 14 के प्रभाव के किसी भी विचार को खारिज कर दिया है।”

20. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पैरा 2 में दी गई टिप्पणी विचारणीय है। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया आश्वासन इस तथ्य के संबंध में था कि डी. एस. एस. एस. बी. द्वारा नियमित चयन प्रक्रिया होने की स्थिति में और याचिकाकर्ता बनने की स्थिति में। अधिशेष, 'अंतिम आओ पहले जाओ' की नीति का निश्चित रूप से पालन किया जाएगा।

21. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई अन्य रियायत यह थी कि प्रत्यर्थी द्वारा नियमित चयन के लिए किसी भी याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य घोषित करना कि वह अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं, कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगा, यदि वह नियमित चयन परीक्षा में उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें आयु में छूट दी जाएगी।

22. हालाँकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था, पर, इन टिप्पणियों को बनाए रखा गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त निर्णय को ले.पे.अ. सं. 2002/2005 के माध्यम से चुनौती दी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जो तथ्य सामने आया था, उस पर ध्यान देने के बाद दिनांक 06.10.2005 के आदेश के माध्यम से विद्वान खण्ड पीठ ने निम्नलिखित रूप में नोट किया कि:

“हालाँकि अपीलार्थी को शुरू में अनौपचारिक आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उक्त नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया और उसे समय-समय पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया। अनुबंध के आधार पर दी गई उपरोक्त नियुक्तियों को अपीलार्थी द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के स्वीकार कर लिया गया था। संविदा कर्मचारी के संबंध में कानून उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया जाता है। अपीलकर्ता अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद पद पर बने रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अपीलकर्ता नियुक्ति की प्रकृति और अवधि से पूरी तरह से अवगत था और इसलिए अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस संबंध में (2003) 3 एस.सी.सी. 485 में रिपोर्ट किए गए गोयल बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। उक्त निर्णय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी संदर्भित किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अन्य निर्णयों से व्यापक रूप से अंश निकाले हैं।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और परिणामों पर विचार करने के बाद हमें निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार

नहीं मिलता है क्योंकि उक्त निष्कर्ष निर्धारित कानूनी स्थिति पर आधारित हैं और मामले के तथ्यों के अनुरूप हैं। हालांकि, अपील को खारिज करते समय और अलग होने से पहले, हम देखेंगे कि यदि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा नर्सरी शिक्षक की नियुक्ति के लिए कोई नया चयन किया जाना है और अपीलकर्ता अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसे न केवल विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आयु में छूट दी जाएगी, (जो आक्षेपित के नहीं है और अंतिम और बाध्यकारी है), बल्कि प्रत्यर्थी इस तथ्य को भी उचित वरीयता देगा कि प्रत्यर्थी ने लगभग 10 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर बालवाड़ी शिक्षक के रूप में सेवा की है।

यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आयु में छूट देने का निर्देश देने वाली टिप्पणियों और इसमें हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों को किसी अन्य मामले में प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में, अपील खारिज कर दी जाती है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।”

23. उपरोक्त के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि विद्वत खण्ड पीठ ने अपील को खारिज कर दिया था, तथापि यह मत व्यक्त किया था कि यदि नर्सरी शिक्षक की नियुक्ति के लिए डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा कोई नया चयन किया जाना है और अपीलकर्ता अपना आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसे न केवल विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा की गई

टिप्पणियों के संदर्भ में आयु में छूट दी जाएगी, बल्कि प्रत्यर्थी इन तथ्यों को भी उचित वरीयता देगा कि अपीलकर्ता ने 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर बालवाड़ी शिक्षक के रूप में सेवा की थी।

24. विद्वत खण्ड पीठ द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से अवलोकन किया गया था कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा और उसके द्वारा भी की गई उपरोक्त टिप्पणी को किसी अन्य मामले में पूर्ववर्ती नहीं माना जाना चाहिए। इस न्यायालय के लिए यह बहुत स्पष्ट है कि यह केवल उन विशिष्ट तथ्यों में था जो याचिकाकर्ता के मामले में उत्पन्न हुए थे, कि विद्वान खण्ड पीठ ने अपने द्वारा पारित आदेश को अन्य मामलों के लिए मिसाल के रूप में नहीं माने जाने का निर्देश दिया था।

25. यह विवादास्पद नहीं है कि प्रत्यर्थी/एन.डी.एम.सी. ने न तो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी और न ही विद्वान खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 06.10.2005 में पारित निर्णय को और यह अंतिम हो गया और प्रत्यर्थी संख्या 1 पर बाध्यकारी हो गया है।

26. आयु में छूट के नीतिगत निर्णय होने के संबंध में आपत्ति अब उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ एकीकृत नहीं है। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश और विद्वान खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय को देखते हुए, याचिकाकर्ता को सार्वजनिक नीति के आधार पर कानून में वर्जित किए जाने के सवाल को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके कारण समझना मुश्किल

नहीं है, क्योंकि किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश को केवल कागजी डिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक कि उसे लागू नहीं किया जाता है या उसके तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाया जाता है। कम से कम, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा, जिसने कभी भी विद्वान एकल न्यायाधीश या विद्वान खण्ड पीठ के निर्णयों को 06.10.2005 पर चुनौती नहीं दी। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में अवरोध के सिद्धांतों को लागू करना प्रत्यर्थी संख्या 1 के हाथ में नहीं है।

27. उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अनुपात उस कानून को निर्धारित करता है जिसके साथ यह न्यायालय विवाद नहीं कर सकता है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों ने कभी भी विद्वान एकल न्यायाधीश या विद्वान खण्ड पीठ के किसी भी आदेश को चुनौती नहीं दी और इसे अंतिम और बाध्यकारी रहने दिया था, अब इसका उपयोग याचिकाकर्ता को एक वैध परिणाम से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो उसके पक्ष में उसके मामले के विशिष्ट तथ्यों में उपार्जित हुआ था।

28. जहाँ तक अन्य संविदात्मक कर्मचारियों के संबंध में श्री धवन के तर्क का संबंध है, यह न्यायालय पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुका है कि विद्वत खण्ड पीठ ने याचिकाकर्ता के मामले में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट तथ्यों में एक आदेश पारित किया था और पहले ही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया था कि यदि अन्य संविदात्मक कर्मचारियों में से कोई भी विद्वत खण्ड पीठ के दिनांक 16.10.2005 के उपरोक्त निर्णय के कारण कोई लाभ प्राप्त करने

का प्रयास करता है तो प्रत्यर्थी को अन्य मुकदमों से बचाने के लिए उक्त निर्णय को पूर्ववर्ती नहीं माना जाएगा।

29. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि याचिकाकर्ता की आयु 52 वर्ष से अधिक है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री धवन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि 2005 से प्रत्यर्थी संख्या 1 के कहने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 22.12.2023 की अधिसूचना जारी किए जाने तक, सहायक शिक्षक (नर्सरी) के नियमित पदों पर भर्ती के लिए कोई अधिसूचना कभी विज्ञापित नहीं की गई थी।

30. यह न्यायालय ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता है, जहां अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए, जिस व्यक्ति ने पहले ही अपने पक्ष में वैध निर्णय प्राप्त कर लिया था, उसे केवल इसलिए वंचित किया जाए कि प्रत्यर्थियों ने इस तरह का विज्ञापन निकालने में लम्बा समय लिया था।

31. प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह कहना नहीं है कि मध्यावधि के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 1 के स्कूलों को बंद कर दिया गया था या वह अपने स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के उद्देश्यों के लिए अनुबंध के आधार पर सहायक शिक्षक के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर रहे थे। उपरोक्त निवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षक (नर्सरी) की आवश्यकता बारहमासी थी और 2005 से आज तक जारी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सहायक शिक्षक (नर्सरी) का पद बारहमासी प्रकृति का था, प्रत्यर्थी द्वारा पहले विज्ञापन न देने का कोई कारण नहीं था। यद्यपि उपरोक्त मुद्दा रिट याचिका का विषय नहीं है, पर यह

न्यायालय उपरोक्त तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेता है जो उपरोक्त निष्कर्ष को मजबूत करता है।

32. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

33. यह समझा दिया गया है कि आवेदनों की अनुमति केवल ऑनलाइन है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं.2/डीएसएसएसबी को याचिकाकर्ता के आवेदन की भौतिक प्रति को एक अपवाद के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है न कि किसी अन्य मामले की मिसाल के रूप में। वही 07.02.2024 को रात 11:59 बजे तक किया जाए।

34. आयु सीमा पर आपत्ति किए बिना भौतिक प्रपत्र को अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए, और याचिकाकर्ता के बालवाड़ी शिक्षक के रूप में अनुभव के 10 साल के लाभ को दिनांक 06.10.2005 की विद्वत खण्ड पीठ के आदेश के संदर्भ में उचित वरीयता दी जाएगी।

35. आवेदन स्वीकार किया जाएगा और यदि हर अन्य आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो याचिकाकर्ता को उपरोक्त पद के लिए परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जैसा कि दिनांक 22.12.2023 की विवादित अधिसूचना में निर्धारित किया गया है।

36. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश केवल इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में पारित किया जाता है और इसे किसी अन्य मामले के लिए मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

37. लंबित आवेदन के साथ याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है।

38. इस आदेश की एक प्रति कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के लिए दस्ती की जाए।

तुषार राव गेदेला, न्या.

फरवरी 06,2024/एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।